



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 66056

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 10631 सन् 2026

नीरज @ गोपाल

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- अंकित कटियार, स्वाती अग्रवाल श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. श्री कौस्तुभ त्रिपाठी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री डी.पी.एस. चौहान, राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र विचारण की लंबितता के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 107 सन् 2021, धारा 304 भारतीय दंड संहिता, थाना सिकंदरा, जनपद कानपुर देहात, में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ संस्थित किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्यारूप से फँसाया गया है। कथित घटना दिनांक 04.05.2025 को घटित हुई बताई जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 08.05.2025 को दर्ज की गई। यह विलंब अभियोजन के मामले के लिए घातक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक दो सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचनादाता के पुत्र पर कथित रूप से हमला करने का आरोपी है। सूचनादाता का पुत्र उपचार के दौरान चोटों से मर गया। शव-परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, घायल को पाँच चोटें आईं। चोट संख्या 1 सिर पर थी, जबकि अन्य चोटें शरीर के अन्य भागों पर थीं। शव-परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व सिर की चोट के कारण कोमा है। डॉक्टर ने यह भी अंकित किया कि "विषाक्तता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संदिग्ध हो सकती है, अतः अंतरांग सुरक्षित रखे गए।" आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक को अस्पष्ट एवं सामान्य भूमिका दी गई है। आवेदक को मुख्य अपराधी के रूप में नामित नहीं किया गया जिसने मृतक के सिर पर चोट कारित की हो। यह अगला तर्क दिया गया कि समान स्थिति में रहीं सह-अभियुक्त श्रीमती काजल उर्फ ज्योति तथा किरण देवी उर्फ किरण को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2022 एवं 27.08.2025 को क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 45966 सन् 2021, श्रीमती काजल उर्फ ज्योति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एवं 17808 सन् 2025, किरण देवी उर्फ किरण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, में पारित आदेशों द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक समता का दावा करता है। आवेदक दिनांक 17.03.2025 से कारागार में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा

4. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु अभिलेख से उपर्युक्त प्रस्तुतियों को संतोषजनक रूप से विवादित नहीं कर सके।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् तथा अभिलेख के अवलोकन के उपरांत, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया यह पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज की गई है। आवेदक को अस्पष्ट एवं सामान्य भूमिका दी गई है। आवेदक को मुख्य अपराधी के रूप में नामित नहीं किया गया जिसने मृतक के सिर पर चोट कारित की हो। समान स्थिति में रहीं सह-अभियुक्त श्रीमती काजल उर्फ ज्योति तथा किरण देवी उर्फ किरण को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक के कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक एक वर्ष से अधिक समय से निरुद्ध रहा है और आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई आशा नहीं है, और राज्य द्वारा कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदक, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा या विचारण में विलंब करेगा या गवाहों को भयभीत करेगा, अतः प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी यह राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।



6. आवेदक - नीरज उर्फ गोपाल, जो उपर्युक्त मामले में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी धनराशि में दो प्रतिभूतियाँ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि वहः

(i) विचारण न्यायालय द्वारा नियत तारीखों पर उपस्थित होगा;

(ii) अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और

(iii) अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

30 मार्च, 2026

एसकेटी/-